

## प्रेस-विज्ञप्ति

## थाना-निजामाबाद

अवैध शरब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड, तीन अदद नाजायज तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद नाजायज तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, दो अदद अर्धनिर्मित तमंचा, तमंचा बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहा/अवैध शराब बनाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 20.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद श्री शिवशंकर सिंह व वरिष्ठ उ०नि० आकाश कुमार मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र व वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि उसी समय स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी मय हमराहीयान के वहां आ गये। वहा मौजूद पुलिस टीम आपस में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बात-चित कर रहे थे कि उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि फरिहा रेलवे स्टेशन के पास कुछ दूर झाड़ियों में एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अपराधिक कार्य कर रहा है। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस बल मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचे तो झाड़ियों में कुछ दूर रोशनी दिखाई दी जिसके समीप जाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस बल द्वारा घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 20.35 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम जितेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र लालजी विश्वकर्मा साकिन सरायसादी महजिदिया थाना घोसी जनपद मऊ बताया। मौके पर तलाशी लिया गया तो उसके पास से तीन अदद नाजायज तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक अदद नाजायज तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 02 अदद अर्धनिर्मित तमंचा व तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 139/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

## पुछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र विश्वकर्मा से पुछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। यह पूर्व में भी अवैध तमंचा बनाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। यह जनपद आजमगढ़ व मऊ में चोरी छुपे अवैध रूप से .312 व .315 बोर के तमंचो को बनाकर बेचता है।

## नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

जितेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र लालजी विश्वकर्मा साकिन सरायसादी महजिदिया थाना घोसी जनपद मऊ।

## पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-139/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

## बरामदगी

1. तीन अदद नाजायज तमंचा ,एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक अदद नाजायज तमंचा ,एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
3. दो अदद अर्धनिर्मित तमंचा।
4. तमंचा बनाने के उपकरण।

## आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-32/17 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0- 33/17 धारा 3/5/7/25 आर्म्स एक्ट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
- 3.मु0अ0सं0-138/18 धारा 147,148,336,353,342,504,427 व 7 सीएलए एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0-139/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

## गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़
- 2.स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी
- 3.हे0का0 विनोद सरोज(स्वाट टीम)
- 4.का0 प्रदीप कुमार पाण्डेय (स्वाट टीम)
- 5.का0 शनि नागर (स्वाट टीम)

